प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शालाओं तथा आई.टी.आई. में संयुक्त रूप से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना।

प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र संबंधित कक्षा की पढ़ाई के साथ आई.टी.आई की पढ़ाई भी करेंगें। इस संबंध में मंत्री परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निम्नानुसार योजना तैयार की गई है :–

1) आई.टी.आई. में संचालित विभिन्न ट्रेड के एक वर्ष के पाठ्यक्रम को दो वर्षों में पूरा किया जायेगा ।
2) जो छात्र उक्त योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करेंगें उन्हें कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 02 भाषा में से 01 भाषा में छूट प्रदान की जायेगी, उसके स्थान पर आई.टी.आई.के ट्रेड के अंक दिये जायेंगें परंतु हिन्दी स्टेनोग्राफी के लिये हिन्दी भाषा अनिवार्य एवं अंग्रेजी स्टेनोग्राफी के लिये अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगी।
3) छात्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं में विज्ञान या वाणिज्य या कला में प्रवेश लेकर तीन विषय में तथा एक विषय भाषा का कुल चार विषय लेकर मंडल की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले सकेगा ।
4) छात्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं के साथ–साथ आई.टी.आई. में भी किसी एक ट्रेड में प्रवेश प्राप्त करेंगें।
5) छात्र हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी की पढ़ाई मंडल की मान्यता प्राप्त शाला से करेगा तथा आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड की पढ़ाई एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेगा ।
6) आई.टी.आई. के ट्रेड की परीक्षा SCVT के द्वारा ली जायेगी SCVT के द्वारा ली गई परीक्षा में छात्र को संबंधित ट्रेड से प्राप्त अंक माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रदाय किये जायेंगें और माध्यमिक शिक्षा मण्डल उन अंकों को संबंधित ट्रेड के समक्ष अंकसूची में अंकित करेगा।

उपरोक्तानुसार छात्र को एक ही समय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र SCVT के द्वारा हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा छात्र को जारी किया जायेगा। हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र के द्वारा छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेगा तथा SCVT द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र रोजगार प्राप्त कर सकेगा।